

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06/अ0-03-11/2022

पटना, दिनांक—

श्री रवि रंजन राज, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-03.07.2024 को कुल 01 दिन का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-04.07.2024 से 30.09.2024 तक कुल 89 (नवासी) दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

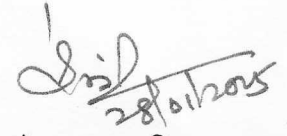
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/अ0-03-11/2022 509

पटना, दिनांक— 29/01/25

प्रतिलिपि:—वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रवि रंजन राज, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।